www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

जुलाई, 2025 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा
अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- भारत में लौह अयस्क उद्योग
- भारत : दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- भारत में बाल श्रम
- ऑपरेशन सिंधु
- भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट

Gist of

THE HINDU | pib पत्र सूचना कार्यालय PRESS INFORMATION BUREAU भारत सरकार | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | Kurukshetra A JOURNAL ON RURAL DEVELOPMENT | YOJANA

Raghav Publication House

Detailed Schedule

RACE IAS

UPPCS 2025
PRELIMS TEST SERIES (PTS)

Available in हिंदी माध्यम/English Medium | Mode: Offline/Online

Commencing from

5th July, 2025

PROGRAM

UP-PTS-2025 BATCH-01	UP-PTS-2025 BATCH-02	UP-PTS-2025 BATCH-03
05 July, 2025- GS Full Length	07 Aug., 2025- GS Full Length	06 Sep., 2025- GS Full Length
12 July, 2025- GS Full Length	13 Aug., 2025- GS Full Length	13 Sep., 2025- GS Full Length
19 July, 2025- GS Full Length	16 Aug., 2025- CSAT	20 Sep., 2025- GS Full Length
26 July, 2025- GS Full Length	23 Aug., 2025- GS Full Length	27 sep., 2025- GS Full Length
02 Aug., 2025- CSAT	30 Aug., 2025- GS Full Length	30 Sep., 2025- CSAT
Timing 12:00 to 2:00 pm	Timing 12:00 to 2:00 pm	Timing 12:00 to 2:00 pm
Offline Fees ₹ 999	Offline Fees ₹ 999	Offline Fees ₹ 999
Online Fees ₹ 499	Online Fees ₹ 499	Online Fees ₹ 499

KEY FEATURES:

1. Questions are designed strictly in line with the latest UPPCS pattern.
2. Detailed solutions/ explanations for all the test papers.
3. Time bound evaluation and performance assessment.

TESTS	OFFLINE FEE	ONLINE FEE
General Studies Paper I General Studies Paper II (CSAT) Total Test = 15	₹ 2,499 (including GST)	₹ 1,299 (including GST)

Offline Test Center: LUCKNOW & KANPUR

ALIGANJ	INDIRA NAGAR	ALAMBAGH	KANPUR
7388114444	9044137462	8917851448	9044327779

raceias.com | Follow us on :

INDEX

भारत में लौह अयस्क उद्योग --01
पराग्वे के राष्ट्रपति की भारत यात्रा --02
फाइटोप्लांकटन ब्लूम्स --02
सेंट्रल सोलिनॉइड और ITER परियोजना --03
भारत: दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था --03
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) -- 04
विदेशी विधिक फर्म और भारत का नियामक दृष्टिकोण --04
भारत में बाल श्रम ---04
दुर्लभ पृथ्वी तत्व (Rare Earth Elements) ---07
केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा प्रणाली (2026 से प्रभावी) ---08
वन अधिकार अधिनियम, 2006 --09
केंद्रीय योजनाओं की प्रदर्शन-आधारित समीक्षा --10
ऑपरेशन सिंधु ---11
इच्छामृत्यु (Euthanasia) ---12
भारत में अंग प्रतिरोपण --13
क्वांटम संचार --14
वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism - LWE) / नक्सलवाद ---16
भारत का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ---17
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) बैठक: भारत की रणनीतिक असहमति --18
स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों में RBI की हालिया छूट ----------------------19

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

भारत में लौह अयस्क उद्योग

संदर्भ

मई 2025 में, भारत ने लौह अयस्क उत्पादन और बिक्री में 89% की वृद्धि देखी, जो औद्योगिक पुनरुद्धार और बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

समाचार के बारे में

- एनएमडीसी (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) ने मई 2025 में उत्पादन में 89% की वृद्धि की सूचना दी।
- यह वृद्धि घरेलू मांग में पुनरुद्धार और नीति समर्थन को दर्शाती है।
- भारत में अब प्रमुख राज्यों में 1319 सक्रिय लौह अयस्क खदानें हैं।
- ओडिशा भारत में लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक राज्य बना हुआ है।
- भारत में 87 विभिन्न धात्विक और अधात्विक खनिजों का निष्कर्षण होता है, और खनन क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 2.3% का योगदान दिया।

विशेषताएँ

- लौह अयस्क इस्पात उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है।
- यह गांठों, महीन कणों और पेलेट्स के रूप में विभिन्न लौह सामग्री के साथ पाया जाता है।
- मैग्नेटाइट में लगभग 70% लौह होता है, जो उच्चतम गुणवत्ता का अयस्क है।
- भारत रूस के बाद हेमेटाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- प्रमुख बेल्ट: ओडिशा-झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा-महाराष्ट्र।
- भारत चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को मांग के अनुसार निर्यात करता है।

लौह अयस्क के प्रकार

प्रकार	**रासायनिक सूत्र**	**रंग/ दिखावट**	**लौह सामग्री**	**टिप्पणियाँ**
मैग्नेटाइट	Fe_3O_4	काला, चुंबकीय	70% तक	उच्चतम लौह सामग्री; उत्कृष्ट गुणवत्ता
हेमेटाइट	Fe_2O_3	लाल से भूरा	60%–67%	लौह उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग
लिमोनाइट	हाइड्रेटेड लौह ऑक्साइड	पीला-भूरा, मिट्टी जैसा	40%–60%	निम्न ग्रेड; निष्कर्षण के लिए कम प्रभावी
साइडेराइट	$FeCO_3$	ग्रे या भूरा	40% से कम	अशुद्धियाँ होती हैं; अक्सर व्यावसायिक रूप से नहीं खनन किया जाता

चुनौतियाँ

- गोवा खनन क्षेत्रों में वनों की कटाई के कारण पर्यावरणीय क्षति।
- झारखंड में वन स्वीकृतियों जैसी नियामक देरी।
- वैश्विक मांग में बदलाव के कारण मूल्य में उतार-चढ़ाव, जैसे चीन की मंदी।
- छत्तीसगढ़ के दूरस्थ खनन क्षेत्रों में लॉजिस्टिक समस्याएँ।

आगे का रास्ता

- ओडिशा में वनीकरण जैसी पर्यावरण-अनुकूल खनन को बढ़ावा देना।
- जीएसई द्वारा नई भंडारों की पहचान के लिए एआई-आधारित अन्वेषण का उपयोग।
- खदानों से बंदरगाहों तक रेल-रोड कनेक्टिविटी में सुधार, जैसे समर्पित माल गलियारे।
- कर्नाटक में जेएसडब्ल्यू जैसी सार्वजनिक-निजी खनन उपक्रमों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

RACE IAS

भारत का लौह अयस्क क्षेत्र आर्थिक विकास और औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। सतत प्रथाओं और कुशल शासन के साथ, यह दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे और निर्यात लक्ष्यों का समर्थन कर सकता है।

पराग्वे के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संदर्भ

हाल ही में पराग्वे के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया, जो द्विपक्षीय संबंधों के एक नए चरण और मर्कोसुर ढांचे के भीतर गहरे व्यापारिक जुड़ाव को चिह्नित करता है।

समाचार के बारे में

- पराग्वे के राष्ट्रपति ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की।
- वार्ताओं में ऊर्जा, खनिज और डिजिटल तकनीक में सहयोग शामिल था।
- भारत-पराग्वे संबंध 1961 में शुरू हुए; दूतावास 2022 में खोला गया।
- भारत 2004 में हस्ताक्षरित मर्कोसुर पीटीए के तहत व्यापार को गहरा करना चाहता है।

मर्कोसुर के बारे में

- मर्कोसुर एक दक्षिण अमेरिकी आर्थिक ब्लॉक है, जो 1991 में असुन्सियोन संधि द्वारा स्थापित किया गया था।
- संस्थापक सदस्य: अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे; वेनेजुएला निलंबित है।
- इसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही है।
- मुख्यालय मोंटेवीडियो, उरुग्वे में है; आधिकारिक भाषाएँ स्पेनिश और पुर्तगाली हैं।
- भारत ने 2004 में मर्कोसुर के साथ एक वरीयता व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए।
- पराग्वे के पास भारत के विकास क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं।

निष्कर्ष

भारत और पराग्वे एक मजबूत रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बना रहे हैं, और मर्कोसुर का लाभ उठाना प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

फाइटोप्लांकटन ब्लूम्स

संदर्भ

पिछले कुछ वर्षों में, उपग्रह चित्रों ने हिंद महासागर और अरब सागर में बार-बार और बड़े पैमाने पर फाइटोप्लांकटन ब्लूम्स का खुलासा किया है। इन घटनाओं का समुद्री स्वास्थ्य, मत्स्य पालन और जलवायु संतुलन पर प्रभाव के कारण गहन अध्ययन किया जा रहा है।

समाचार के बारे में

- अरब सागर और दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लांकटन ब्लूम्स देखे गए।
- ब्लूम्स को रेगिस्तानी धूल द्वारा समुद्र में लाए गए लौह से जोड़ा गया है।
- अध्ययन फाइटोप्लांकटन की कार्बन अवशोषण में भूमिका को उजागर करते हैं।
- ऑक्सीजन स्तर और समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रभाव की समीक्षा की जा रही है।

प्लवक

- प्लवक सूक्ष्म बहाव वाले जीव होते हैं जो जल धाराओं पर निर्भर होते हैं।
- ये जीव समुद्री जीवन से अलग होते हैं क्योंकि ये समुद्री प्रवाह का विरोध नहीं कर सकते।

व्यापक श्रेणियाँ

- **उत्पादक (फाइटोप्लांकटन):** ये प्रकाश-निर्भर जीव समुद्री पौधों की तरह कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
- ये छोटे जानवर फाइटोप्लांकटन पर भोजन करते हैं और पोषक तत्वों के चक्र में योगदान करते हैं।

पारिस्थितिक मूल्य

- **ऑक्सीजन उत्पादन:** फाइटोप्लांकटन पृथ्वी की ऑक्सीजन आपूर्ति का आधे से अधिक उत्पादन करते हैं।
- **खाद्य जाल की नींव:** ये मछलियों, समुद्री स्तनधारियों और अन्य जलीय जीवों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
- **जलवायु विनियमन:** कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर, प्लवक ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को कम करते हैं।
- **पर्यावरणीय संकेतक:** इनकी जनसंख्या पैटर्न समुद्री स्वास्थ्य, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करते हैं।

चुनौतियाँ

- अत्यधिक वृद्धि मृत क्षेत्रों का कारण बनती है, जैसे मेक्सिको की खाड़ी में।
- ब्लूम्स का विघटन ऑक्सीजन को कम करता है, जिससे मछलियों को नुकसान होता है।
- कुछ ब्लूम्स जैव विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं, जो मनुष्यों और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं।

- लौह-प्रेरित ब्लूम्स अन्य पोषक तत्वों को समाप्त कर सकते हैं, जैसा कि दक्षिणी महासागर में देखा गया है।

आगे का रास्ता

- भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र द्वारा उपग्रह मानचित्रण के माध्यम से ब्लूम्स की निगरानी।
- कालाहारी और नामीब जैसे रेगिस्तानों से धूल उर्वरता प्रभावों का अध्ययन।
- संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक कार्यक्रम के तहत समुद्री स्वास्थ्य नीतियों का समर्थन।
- तटीय आंध्र प्रदेश में कृषि से पोषक तत्वों के बहाव को नियंत्रित करना।

निष्कर्ष

फाइटोप्लांकटन ब्लूम्स पर्यावरणीय अवसर और चुनौती दोनों हैं। जबकि ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु विनियमन में मदद करते हैं, अनियंत्रित ब्लूम्स समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन ब्लूम्स को समझना और प्रबंधित करना सतत समुद्री शासन और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

सेंट्रल सोलिनॉइड और ITER परियोजना

प्रसंग:

हाल ही में अमेरिका ने "मॉन्स्टर मैग्नेट" कहे जाने वाले सेंट्रल सोलिनॉइड को फ्रांस में स्थित ITER परियोजना के लिए भेजा है। यह एक वैश्विक परमाणु संलयन (न्यूक्लियर फ्यूजन) परियोजना है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया को दोहराना है।

समाचार से जुड़ी जानकारी:

- अमेरिका ने सेंट्रल सोलिनॉइड का निर्माण किया और उसे फ्रांस भेजा।
- ITER को दक्षिण फ्रांस के काडाराश (Cadarache) क्षेत्र में बनाया जा रहा है।
- इसका लक्ष्य 2040 तक 500 मेगावाट फ्यूजन ऊर्जा पैदा करना है।
- भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जो विशाल क्रायोस्टैट ढांचे में योगदान दे रहा है।

विशेषताएँ:

- सेंट्रल सोलिनॉइड एक सुपरलोडक्टिंग मैग्नेट है, जिसकी ऊंचाई 60 फीट है।
- इसमें छह शक्तिशाली मैग्नेटिक मॉड्यूल होते हैं।
- यह टोकामक के अंदर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
- यह क्षेत्र उच्च तापमान वाले प्लाज्मा को पकड़कर दीवारों को नुकसान से बचाता है।
- यह ऐसे पदार्थों से बना है जो बिना प्रतिरोध के विद्युत प्रवाहित करते हैं।
- भारत, चीन और यूरोपीय संघ समेत 35 देश इस परियोजना में सहयोग कर रहे हैं।

भारत का योगदान:

- भारत 2005 में ITER में शामिल हुआ था ताकि वह अपने फ्यूजन ऊर्जा अनुसंधान को आगे बढ़ा सके।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (IPR) इस प्रयास का नेतृत्व करता है।
- ADITYA-U और SST-1 नामक टोकामक इसके प्रमुख प्रोजेक्ट हैं।
- ITER-India एक विशेष परियोजना है जो क्रायोस्टैट, शील्डिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, RF हीटिंग, डायग्नोस्टिक टूल्स और पावर सप्लाई जैसे प्रमुख घटकों की आपूर्ति करता है।
- भारत कुल लागत का लगभग 9% योगदान देता है।

ITER क्यों महत्वपूर्ण है:

- यह दुनिया का सबसे उन्नत फ्यूजन प्रयोग है।
- इसका उद्देश्य बिना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा उत्पन्न करना है।
- वैज्ञानिक पहली बार "बर्निंग प्लाज्मा" प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 400–600 सेकंड तक सतत प्रतिक्रिया चलती है।
- यह परियोजना प्रदूषण या विकिरण जोखिम के बिना ऊर्जा का भविष्य बदल सकती है।

भारत: दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

प्रसंग:

2025 की शुरुआत में, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है (नाममात्र GDP के अनुसार)।

समाचार से जुड़ी जानकारी:

- भारत का GDP $4.2 ट्रिलियन को पार कर गया है, जो जापान से अधिक है।
- यह सेवा क्षेत्र, सुधारों और डिजिटल टूल्स से प्रेरित है।
- भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है।
- रैंकिंग नाममात्र GDP पर आधारित है, प्रति व्यक्ति आय पर नहीं।

GDP क्या है (सकल घरेलू उत्पाद): GDP का अर्थ है—किसी निर्धारित अवधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। "अंतिम" से आशय है उपभोग के लिए तैयार वस्तुएं, न कि आगे उत्पादन के लिए।

GDP वृद्धि के मुख्य चालक: GDP चार प्रकार के व्यय से संचालित होता है:

1. **निजी उपभोग:** घरों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च (Private Final Consumption Expenditure – PFCE)।
2. **सरकारी खर्च:** सरकारी कार्यों जैसे वेतन, सेवाओं आदि पर खर्च (Government Final Consumption Expenditure – GFCE)।
3. **निवेश:** बुनियादी ढांचे, मशीनों आदि पर खर्च, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है (Gross Fixed Capital Formation)।
4. **शुद्ध निर्यात:** निर्यात – आयात का अंतर।

GDP का सूत्र: GDP = निजी उपभोग + निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात – आयात)

भारतीय GDP की विशेषताएँ:

- सेवा क्षेत्र 50% से अधिक योगदान देता है।
- डिजिटल ढांचे जैसे UPI और ONDC ने विकास को गति दी।
- सरकार ने PLI और गति शक्ति जैसी योजनाएँ शुरू कीं।
- आर्थिक आकार बढ़ा है, लेकिन चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं।
- दृष्टिकोण समावेशी और टिकाऊ विकास का है।
- आर्थिक वृद्धि को सामाजिक प्रगति से जोड़ना जरूरी है।

चुनौतियाँ:

- युवाओं में बेरोजगारी दर 15–18% है। *उदाहरण:* पढ़े-लिखे स्नातकों को नौकरी नहीं मिल रही।
- प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,000 है। *उदाहरण:* जापान की प्रति व्यक्ति आय $34,000 है।
- असमानता बढ़ रही है; शीर्ष 1% के पास 40% संपत्ति है।
  उदाहरण: शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों में आय का भारी अंतर।
- कृषि संकट: कम उत्पादकता और आय। *उदाहरण:* 45% कार्यबल कृषि में है, लेकिन GDP में योगदान मात्र 18%।

आगे की राह:

- MSME और स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार सृजन। *उदाहरण:* स्थानीय उद्योगों में स्किल-आधारित नियुक्ति।
- ग्रामीण निवेश बढ़ाना, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य में। *उदाहरण:* ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्कूल ढांचे में सुधार।
- श्रम कानून सुधारों से विनिर्माण को प्रोत्साहन। *उदाहरण:* वस्त्र उद्योगों के लिए व्यापार सुगमता बढ़ाना।
- नवाचार को बढ़ावा देने हेतु R&D खर्च में वृद्धि। *उदाहरण:* GDP का 1% से अधिक अनुसंधान पर खर्च, जैसे विकसित देशों में होता है।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक स्थिति तेजी से बढ़ी है, लेकिन असली सफलता लोगों के जीवन में सुधार लाने में है। वैश्विक नेतृत्व बनाए रखने के लिए भारत को आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ और नवाचार को जोड़ना होगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

प्रसंग:

हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने व्यापार में सुगमता और नीति संवाद को मजबूत करने के लिए सरकार की पहलों के साथ साझेदारी की है।

समाचार से जुड़ी जानकारी:

- CII की स्थापना 1895 में हुई थी।
- यह एक गैर-सरकारी, गैर-वैधानिक, गैर-लाभकारी संगठन है।
- यह वैश्विक स्तर पर भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देता है।

विशेषताएँ:

- यह सरकार और उद्योग के बीच सेतु का कार्य करता है।
- नीति सुझाव और सुधारों का प्रारूप तैयार करता है।
- प्रशिक्षण, इवेंट और बाज़ार विश्लेषण की सुविधा देता है।
- MSME, स्टार्टअप्स और स्थिरता प्रयासों को समर्थन देता है।

चुनौतियाँ:

- बड़े और छोटे उद्योगों के प्रतिनिधित्व में असंतुलन। *उदाहरण:* नीतियों में बड़े कॉरपोरेट्स का दबदबा।
- क्षेत्रीय भागीदारी में असमानता। *उदाहरण:* उत्तर-पूर्व भारत में उद्योगों की कम भागीदारी।
- नीति निर्माण में सीमित सीधी शक्ति। *उदाहरण:* सलाहकार भूमिका, कार्यकारी नहीं।

आगे की राह:

- सभी क्षेत्रों से समावेशी औद्योगिक भागीदारी। *उदाहरण:* टियर-2, टियर-3 शहरों के उद्योगों को प्रोत्साहन।
- व्यावसायिक संस्थानों से कौशल विकास साझेदारी। *उदाहरण:* CII–NSDC सहयोग।
- MSMEs को नीति निर्माण में अधिक एकीकृत करना। *उदाहरण:* विशेष CII-MSME परिषद की सिफारिशें।

निष्कर्ष:

CII भारत के औद्योगिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका

RACE IAS

निभाता रहा है। समावेशी, कौशल-संपन्न और टिकाऊ उद्योग के माध्यम से, यह भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने में तेजी ला सकता है।

विदेशी विधिक फर्म और भारत का नियामक दृष्टिकोण

प्रसंग

भारत की बार काउंसिल (BCI) ने विदेशी कानून फर्मों और वकीलों को विनियमित करने के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य विधिक नैतिकता और पारस्परिकता को बनाए रखना है। हालांकि, अमेरिका आधारित कुछ फर्मों का कहना है कि ये मानदंड प्रक्रियात्मक अड़चनें उत्पन्न करते हैं, जिससे उन्हें भारतीय विधिक बाज़ार तक निष्पक्ष पहुंच प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

विदेशी हितधारकों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएँ

1. नियामक व्यापार बाधाओं के आरोप
अमेरिकी विधिक संस्थाएं यह तर्क देती हैं कि BCI की दिशानिर्देश गैर-शुल्क प्रतिबंधों के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रक्रियात्मक अड़चनों को जन्म देते हैं और भारत के विधिक सेवाओं के बाज़ार में उनके सहज प्रवेश को बाधित करते हैं।

2. गोपनीयता प्रोटोकॉल से संबंधित मुद्दे
एक प्रमुख चिंता यह है कि नए नियम विदेशी विधिक फर्मों से उनकी सेवाओं की प्रकृति और कुछ ग्राहक विवरणों का खुलासा करने की अपेक्षा करते हैं। अमेरिकी पक्षों का कहना है कि यह नियम अमेरिकी बार एसोसिएशन जैसे निकायों द्वारा निर्धारित गोपनीयता मानकों से टकरा सकता है, जिससे गोपनीयता उल्लंघन और कानूनी टकराव हो सकते हैं।

3. पारस्परिकता और क्रियान्वयन का समय
विशेष रूप से "फ्लाई-इन, फ्लाई-आउट" प्रावधान (नियम 3(1)) के अंतर्गत लागू नियमों की आलोचना इस आधार पर की गई है कि उनमें अन्य देशों के साथ कोई पारस्परिक व्यवस्था नहीं है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि BCI ने इन नियमों को लागू करने से पहले विदेशी फर्मों को समायोजन का पर्याप्त समय नहीं दिया, जिससे वे तत्काल संचालनात्मक नुकसान में आ गई हैं।

भारत की विधिक प्रणाली और संवैधानिक स्थिति

1. एक विनियमित पेशा के रूप में विधिक अभ्यास
भारत में विधिक पेशा संविधान के अंतर्गत एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाता। संघ सूची के प्रविष्टि 77 और 78 के अनुसार, यह केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, और व्यापार नियमों या अंतरराष्ट्रीय समझौतों से अलग है।

2. न्यायिक उदाहरण पेशेवर प्रकृति को पुष्ट करते हैं
2024 के *Bar of Indian Lawyers बनाम D.K. गांधी* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि विधिक सेवाएं "निजी सेवा का अनुबंध" हैं न कि कोई वाणिज्यिक उद्यम। इसलिए विधिक अभ्यास नैतिक आचार संहिताओं और पेशेवर व्यवहार नियमों द्वारा संचालित होता है, न कि व्यापारिक नियमों द्वारा।

3. अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में भारत की स्थिति
भारत ने विधिक सेवाओं को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के दायरे से बाहर रखा है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ उसकी वार्ताएं भी शामिल हैं। यह दर्शाता है कि भारत विधिक क्षेत्र को व्यावसायिक वस्तु के रूप में देखने के अंतरराष्ट्रीय दबाव का विरोध करते हुए, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय नियामक व्यवस्था बनाए रखना चाहता है।

नियंत्रण के उद्देश्य से बनाए गए नियम, प्रतिबंध नहीं

1. नियंत्रित परिस्थितियों में एक सहमति आधारित ढांचा
नए नियम 3 और 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय विधिक पेशेवर और फर्म भारत में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। वे केवल सीमित क्षेत्रों—जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून या उनके गृह क्षेत्राधिकार का कानून—में विधिक परामर्श दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण भारत की विधिक प्रणाली को धीरे-धीरे खोलने और नैतिक अखंडता बनाए रखने का प्रयास है।

2. मामले-दर-मामले नियामकीय विवेकाधिकार
अध्याय III के नियम 6 के अंतर्गत, BCI को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 'गुड स्टैंडिंग' प्रमाणपत्र जैसे सहायक दस्तावेजों की समीक्षा व्यक्तिगत आधार पर कर सके। यह विवेक विशेष रूप से अमेरिका जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां विधिक अभ्यास कई राज्य बार के तहत विकेन्द्रित होता है।

3. पारदर्शिता और गोपनीयता का संतुलन
हालांकि विदेशी संस्थाओं से उनकी विधिक सेवाओं की सामान्य रूपरेखा मांगी जाती है, नियम उनसे विस्तृत या संवेदनशील ग्राहक जानकारी की मांग नहीं करते। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विदेशी फर्में भारतीय विधिक मानदंडों का पालन करें बिना अपनी घरेलू गोपनीयता बाध्यताओं का उल्लंघन किए।

निष्कर्ष: सुरक्षा उपायों के साथ नियंत्रित उदारीकरण

भारत की विदेशी कानून फर्मों पर नीति **प्रतिबंध की अपेक्षा सीमित समावेशन को प्राथमिकता** देती है। स्पष्ट नियमों के माध्यम से BCI विधिक मानकों को बनाए रखते हुए विदेशी भागीदारी की सीमित अनुमति देता है। यद्यपि अमेरिकी चिंताओं पर संवाद आवश्यक है, भारत की स्थिति उसके संवैधानिक और नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप है। जैसे-जैसे वैश्विक विधिक एकीकरण बढ़ेगा, निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक होगा।

भारत में बाल श्रम

1. **प्रसंग**

12 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के नेतृत्व में विश्व स्तर पर "बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य (SDG) 8.7 के तहत 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता के बावजूद, यह समस्या अभी भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत में, तेलंगाना के वेलपुर

मॉडल को एक उल्लेखनीय सामुदायिक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो जमीनी स्तर पर सतत समाधान प्रदान करता है।

2. बाल श्रम को समझना

2.1 वैश्विक परिदृश्य

- **समस्या का स्तर**: ILO के अनुमान के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं — यानी प्रत्येक 10 में से 1 बच्चा।
- **क्षेत्रीय एकाग्रता**: लगभग 90% बाल श्रमिक अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित हैं, जो क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है।
- **कोविड-19 का प्रभाव**: महामारी ने विशेष रूप से विकासशील देशों में बच्चों की स्थिति को और अधिक असुरक्षित बना दिया। स्कूल बंद होने से ड्रॉपआउट दर बढ़ी और कई बच्चे कक्षा में वापस नहीं लौट सके, जिससे बाल श्रम में वृद्धि हुई।

2.2 भारत में बाल श्रम

- **स्थिति की गंभीरता**: जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 53 लाख बच्चे (5–14 वर्ष) विभिन्न प्रकार के श्रम में संलग्न थे, जिसका मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा की अनुपलब्धता और अशिक्षा है।
- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्र**: बीड़ी निर्माण, कालीन बुनाई, और पटाखा उद्योग जैसे खतरनाक और अनौपचारिक क्षेत्रों में बच्चों को काम पर लगाया जाता है।
- **कानूनी ढांचा**: बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित), 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी प्रकार के रोजगार को प्रतिबंधित करता है, और 14–18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकता है।

3. कानूनी और नीतिगत उपाय

3.1 संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 21A एवं RTE अधिनियम, 2009**: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

3.2 सरकारी योजनाएँ

- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)**: बाल श्रमिकों को बचाकर उन्हें ब्रिज स्कूलों में प्रवेश दिलाने और फिर औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने का प्रयास करती है।

3.3 कार्यान्वयन की खामियाँ

प्रगतिशील कानूनों और योजनाओं के बावजूद, कमजोर प्रवर्तन, कम सजा दर और अप्रभावी पुनर्वास अक्सर बच्चों को फिर से शोषणात्मक कार्यों में धकेल देते हैं।

4. प्रमुख चुनौतियाँ और उदाहरण

चुनौती	विवरण	उदाहरण / डेटा स्रोत
1. गरीबी और आर्थिक दबाव	परिवारों की जीविका के लिए बच्चों की कमाई आवश्यक	PLFS 2022: 23% ग्रामीण परिवार ₹100/दिन से कम कमाते हैं
2. शिक्षा की खराब गुणवत्ता	स्कूलों में रुचिकर और प्रभावी शिक्षा का अभाव	ASER 2022: केवल 42.8% कक्षा 5 के छात्र, कक्षा 2 की किताब पढ़ पाते हैं
3. कमजोर कानून प्रवर्तन	कम रिपोर्टिंग, लंबी सुनवाई, और हल्की सजा	2017–20: 8000 उल्लंघनों में केवल 30% में सजा हुई
4. अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण	अधिकतर बाल श्रम घर आधारित अनियमित कार्यों में छिपा होता है	2021 सर्वे: 70% बाल श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रों में
5. पुनर्वास की कमी और पुनरावृत्ति	बचाव के बाद मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सहायता का अभाव	श्रम मंत्रालय 2021: केवल 56% NCLP बच्चे औपचारिक स्कूलों में पहुँचे

5. केस स्टडी: वेलपुर मॉडल, तेलंगाना

वेलपुर मॉडल बाल श्रम के उन्मूलन हेतु एक सफल सामुदायिक नेतृत्व वाली पहल है। इसमें स्थानीय जनजागरूकता अभियानों, स्कूल पुनः नामांकन अभियानों, और परिवारों के लिए आर्थिक विकल्पों को जोड़ा गया है। यह मॉडल अन्य जिलों और राज्यों के लिए एक दोहराने योग्य ढाँचा प्रस्तुत करता है।

6. आगे की राह

- **प्रभावी क्रियान्वयन**: बाल श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और दोषियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाई जाए।
- **सामुदायिक निगरानी**: पंचायत संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों और स्थानीय NGO को निगरानी और पुनर्वास में सक्रिय भूमिका दी जाए।
- **शैक्षिक ढाँचे में सुधार**: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मध्याह्न भोजन योजना को मजबूत किया जाए।
- **परिवारों को आर्थिक समर्थन**: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आजीविका मिशन, और मनरेगा का विस्तार कर परिवारों की आय में वृद्धि की जाए।

RACE IAS

- **सफल मॉडलों का विस्तार**: वेलपुर जैसे प्रभावी मॉडलों को संस्थागत रूप दिया जाए और उन्हें बाल श्रम संभावित क्षेत्रों में लागू किया जाए।

निष्कर्ष

भारत में बाल श्रम मानव विकास और सामाजिक न्याय के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। यद्यपि कानूनी और नीतिगत उपाय मौजूद हैं, परंतु उनकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, समावेशी शिक्षा, और सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है। वेलपुर जैसे जमीनी नवाचारों को बड़े पैमाने पर लागू कर भारत को उस दिशा में ले जाया जा सकता है जहाँ हर बच्चा गरिमा के साथ सीख सके, खेल सके और बढ़ सके — शोषण से मुक्त।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व (Rare Earth Elements)

प्रसंग

चीन द्वारा सात प्रमुख दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REEs) के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है। भारत, जो REE-आधारित मैग्नेट के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर है, उसके लिए यह विकास उसके ऑटोमोबाइल और रक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।

1. दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्या हैं?

दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 रासायनिक रूप से समान धातुओं का एक समूह हैं, जो उच्च तकनीकी उद्योगों में अत्यंत आवश्यक हैं। हालाँकि इनके नाम में "दुर्लभ" शब्द आता है, वे प्रकृति में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका निष्कर्षण और परिशोधन आर्थिक रूप से कठिन होता है।

ये मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं:

- विद्युत वाहन (Electric Vehicles) और पवन टर्बाइन
- स्मार्टफोन, सेंसर और सेमीकंडक्टर
- रक्षा प्रणालियाँ जैसे रडार, ड्रोन और मिसाइल

2. चीन का वैश्विक प्रभुत्व और निर्यात प्रतिबंध

आपूर्ति पर एकाधिकार

वर्तमान में चीन:

- वैश्विक REE खनन का लगभग **70%**
- और परिशोधन व मैग्नेट निर्माण क्षमता का **लगभग 90%** नियंत्रित करता है।

यह एकाग्रता चीन को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बड़ा दबाव बनाने की ताकत देती है। नवीनतम प्रतिबंध डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे रणनीतिक REEs पर लगाए गए हैं, जो उच्च-प्रदर्शन स्थायी मैग्नेट बनाने में जरूरी हैं।

प्रतिबंधों की प्रकृति

अब निर्यातकों को विशेष लाइसेंस की आवश्यकता है, जिन्हें अक्सर देरी से या अस्वीकार किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि आवश्यक सामग्रियों की वैश्विक आपूर्ति बाधित हो सकती है।

प्रभावित क्षेत्र:

- **ऑटोमोबाइल उद्योग**: EVs और पारंपरिक वाहनों के कलपुर्जे
- **रक्षा क्षेत्र**: सटीक निर्देशित हथियार, ड्रोन, रडार
- **इलेक्ट्रॉनिक्स व ऊर्जा**: उच्च दक्षता मोटर, सेंसर, अक्षय ऊर्जा भंडारण

3. भारत पर प्रभाव

अल्पकालिक दबाव

- भारत के ईवी और ऑटो क्षेत्र को मैग्नेट स्टॉक घटने से उत्पादन में बाधा आ रही है। इलेक्ट्रिक मोटर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पादन समय-सारणी प्रभावित हो रही है।

दीर्घकालिक रणनीतिक अंतर

- भारत के पास पाँचवां सबसे बड़ा REE भंडार है, परंतु बड़े पैमाने पर परिशोधन या मैग्नेट निर्माण की क्षमता नहीं है।
- IREL (Indian Rare Earths Limited), एक सार्वजनिक उपक्रम, घरेलू उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे लचीलापन सीमित हो जाता है।

4. नीतिगत प्रतिक्रियाएँ और औद्योगिक रणनीतियाँ

अल्पकालिक उपाय

- चीन से निर्यात मंजूरी प्राप्त करने हेतु द्विपक्षीय कूटनीति में सक्रियता।
- वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अफ्रीकी देशों से वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की खोज।
- पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियों और वाहनों से REEs का पुन: उपयोग और रीसायक्लिंग।
- अस्थायी रूप से फेराइट मैग्नेट का उपयोग, हालांकि वे तकनीकी रूप से कमज़ोर हैं।

रणनीतिक रोडमैप

- घरेलू परिशोधन और मैग्नेट निर्माण सुविधाओं की स्थापना।
- वैकल्पिक सामग्रियों और सतत निष्कर्षण तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन।
- तकनीकी रूप से उन्नत और संसाधन-संपन्न देशों के साथ संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहित करना, जिससे ज्ञान और तकनीक हस्तांतरण हो सके।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक प्रभाव

REEs केवल आर्थिक घटक नहीं, बल्कि रणनीतिक संसाधन भी हैं। भारत की मिसाइल प्रणाली, उपग्रह, और स्मार्ट हथियार इन तत्वों

की स्थिर उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चीन पर अत्यधिक निर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करती है और यह इंगित करती है कि भारत को प्रमुख तकनीकों में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है।

6. आगे की दिशा: भारत के REE पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना

भारत को अपनी निर्भरता कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनानी चाहिए:

- घरेलू खोज और निष्कर्षण में तेजी लाना, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी हो।
- खनन, परिशोधन, अनुसंधान, और अंतिम उपयोगों में समन्वय हेतु एक **राष्ट्रीय दुर्लभ पृथ्वी मिशन** शुरू करना।
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना में REEs को शामिल करना ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले।
- ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कुछ अफ्रीकी देशों जैसे अप्रयुक्त भंडार वाले देशों के साथ **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी** को सशक्त बनाना।
- **ई-कचरे और निष्क्रिय ईवी वाहनों** से दुर्लभ तत्वों की पुनःप्राप्ति हेतु एक मज़बूत रीसायक्लिंग प्रणाली विकसित करना।

निष्कर्ष

भारत की विदेश-नियंत्रित दुर्लभ पृथ्वी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता, उसकी आर्थिक आकांक्षाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। चीन के निर्यात प्रतिबंधों ने इन कमजोरियों को उजागर कर दिया है, लेकिन यह भारत के लिए अपनी नीति को पुनः परिभाषित करने का एक समयोचित अवसर भी है। समन्वित नीतिगत प्रयासों, तकनीकी निवेशों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से, भारत अपनी REE क्षमता को एक आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में परिवर्तित कर सकता है।

केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा प्रणाली (2026 से प्रभावी)

प्रसंग

भारत के **वित्त मंत्रालय** ने एक नई नीति शुरू की है जिसके तहत सभी **केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्र प्रायोजित योजनाओं** की **स्वतंत्र रूप से समीक्षा** कराई जाएगी, यदि उन्हें **31 मार्च, 2026** के बाद जारी रखना हो। यह कदम **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण**, **बजटीय दक्षता** और **राजकोषीय शासन** को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।

नई दिशा-निर्देशों के प्रमुख उद्देश्य

- सार्वजनिक व्यय के लिए **बेहतर परिणाम** सुनिश्चित करना।
- सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में **पारदर्शिता** को बढ़ावा देना।
- **वास्तविक प्रदर्शन** के आधार पर **अनुदान आवंटन** को जोड़ना।
- **कम प्रभावी योजनाओं** की पहचान और समाप्ति।
- **वित्तीय नियंत्रण** लागू करना ताकि व्यय अनियंत्रित न बढ़े।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

समय-सीमा आधारित कार्यान्वयन

- प्रत्येक योजना की **पूर्व-निर्धारित समाप्ति तिथि** होनी चाहिए।
- मार्च 2026 के बाद, योजनाओं को **पुनः मूल्यांकन** से गुजरना होगा।

मूल्यांकन-आधारित विस्तार

- सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की **बाहरी एजेंसियों द्वारा समीक्षा** की जाएगी।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए **नीति आयोग** द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
- योजनाओं को **परिणामों की गुणवत्ता** के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाएगा।

व्यय की सीमा

- 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026–31) के दौरान **कुल प्रस्तावित व्यय** को 2021 से 2025 के औसत वार्षिक व्यय के **5 गुना तक सीमित** रखा जाएगा।

लचीला धन आवंटन

- मंत्रालयों को **कम प्रदर्शन** करने वाली योजनाओं से **अच्छे प्रदर्शन** वाली योजनाओं में **धन स्थानांतरित** करने की अनुमति होगी, बशर्ते उचित कारण दर्ज किए जाएं।

पूर्व-स्वीकृत बजटीय सीमाएँ

- प्रत्येक योजना को **पूर्व निर्धारित वित्तीय सीमा** के भीतर ही संचालित करना होगा, **स्वतः बजट वृद्धि** की अनुमति नहीं होगी।

मांग-आधारित कार्यक्रमों पर प्रभाव

ऐसी योजनाएँ जो **लाभार्थियों की मांग पर आधारित** होती हैं, जैसे कि **मनरेगा**, अब **2026–2031 अवधि के अनुमानित लाभार्थी संख्या** के आधार पर सीमित की जाएंगी।

- **अतिरिक्त धनराशि** प्राप्त करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।
- यह महामारी या प्राकृतिक आपदा जैसी **अप्रत्याशित परिस्थितियों** में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इस कदम के सकारात्मक परिणाम

- **परिणाम-उन्मुख** सार्वजनिक प्रशासन को बढ़ावा देगा।

- भारत की बजट प्रणाली को **अंतरराष्ट्रीय मानकों** (जैसे OECD की **Results-Based Budgeting**) के अनुरूप लाएगा।
- **अनावश्यक और दोहराव वाली योजनाओं** को हटाने में मदद करेगा।
- संसाधनों का **सही उपयोग** सुनिश्चित करेगा।
- **लोक कल्याण खर्च** में लोगों का **विश्वास** बढ़ाएगा।
- **अंतर-मंत्रालय समन्वय** को बढ़ावा देगा।

इस नीति से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- **स्वतंत्र मूल्यांकन की गुणवत्ता** कई बार प्रभावित होती है, क्योंकि एजेंसियों में **तकनीकी क्षमता या स्वतंत्रता** की कमी होती है।
- **दीर्घकालिक प्रभाव वाली योजनाओं** (जैसे शिक्षा, पोषण) को जल्दबाज़ी में समाप्त करने का खतरा।
- संकट या आपदा की स्थिति में **मांग आधारित योजनाएँ** (जैसे मनरेगा) **पर्याप्त फंडिंग से वंचित** रह सकती हैं।
- योजनाओं के **पुनर्मूल्यांकन और पुनः स्वीकृति** में **प्रशासनिक देरी** की आशंका।
- कई योजनाओं में **रीयल-टाइम निगरानी और फीडबैक तंत्र** की अनुपस्थिति।

आगे का रास्ता

- **स्वतंत्र मूल्यांकन निकाय** स्थापित करना: नीति आयोग या कैग के अधीन एक **राष्ट्रीय सार्वजनिक योजना मूल्यांकन एजेंसी** बनाई जाए।
- **मजबूत निगरानी तंत्र** विकसित करना: योजनाओं की **रीयल-टाइम ट्रैकिंग**, **डैशबोर्ड**, **भौगोलिक टैगिंग** और **सार्वजनिक डेटा उपलब्धता** सुनिश्चित की जाए।
- **योजना की शुरुआत से ही परिणाम-उन्मुखता**: प्रत्येक योजना के लिए स्पष्ट **मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs)** तय किए जाएं।
- **लोक कल्याण योजनाओं की सुरक्षा**: ऐसी योजनाओं (जैसे पोषण, स्वास्थ्य, ग्रामीण रोजगार) को केवल अल्पकालिक आंकड़ों के आधार पर **समाप्त न किया जाए**।
- **प्रशासनिक दक्षता निर्माण**: योजना मूल्यांकन, लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण, और डेटा व्याख्या हेतु **सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण** दिया जाए।

निष्कर्ष

यह नई समीक्षा-आधारित नीति भारत की **सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली** को **अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और परिणाम-केंद्रित** बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, इसके **प्रभावी क्रियान्वयन** के लिए **संस्थागत क्षमता**, **तकनीकी संसाधन** और **राजनीतिक इच्छाशक्ति** की आवश्यकता होगी, ताकि सामाजिक सुरक्षा और विकास के मूल उद्देश्य प्रभावित न हों।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

2024–25 में, **जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने **धर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** के अंतर्गत **18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** में **300 समर्पित एफआरए सेल्स (FRA Cells)** स्थापित कर एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम को मजबूत करना है।

एफआरए, 2006 के उद्देश्य

- **अधिकारों को मान्यता देना**: अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFDs) के पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करना, जो उनकी दैनिक जरूरतों के लिए वन भूमि पर निर्भर हैं।
- **जीविका को सुरक्षित बनाना**: वन संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना जो पर्यावरण और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिरता दोनों का समर्थन करे।
- **समुदायों को सशक्त बनाना**: वन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर कानूनी अधिकार प्रदान कर वन-आधारित समुदायों को सशक्त बनाना।

नए एफआरए सेल्स की मुख्य विशेषताएँ

- ये सेल्स **एफआरए के क्रियान्वयन की निगरानी** और **तेजी से निष्पादन** में मदद करेंगी।
- ये व्यक्तिगत और सामुदायिक **लंबित वन अधिकार दावों का निपटारा** करने में मदद करेंगी।
- **मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम और झारखंड** जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है जहाँ लंबित दावों की संख्या अधिक है।
- ये सेल्स **शिकायत निवारण** और **वनवासियों में जागरूकता बढ़ाने** में भी मदद करेंगी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधान

- **पीढ़ियों से बसे लोगों को वन भूमि पर कानूनी अधिकार** देना।
- **बाँस, शहद** जैसे **लघु वनोपज एकत्र करने और बेचने का अधिकार**।
- **चराई, मछली पकड़ने और जल स्रोतों के उपयोग का अधिकार**।
- **सामुदायिक वन अधिकार**: समुदायों को वन संसाधनों का **प्रबंधन और संरक्षण** करने का अधिकार।
- **ग्राम सभा की भूमिका**: दावों की **पुष्टि और पुनर्वास** सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा को केंद्रीय भूमिका दी गई है।

क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियाँ

1. **जनजातीय आबादी में एफआरए अधिकारों की जानकारी की कमी** **उदाहरण**: ओडिशा के कई गाँव सामुदायिक वन अधिकारों से अनजान हैं।

RACE IAS

2. **जिला-स्तरीय समितियों द्वारा दावों की धीमी प्रक्रिया**
   उदाहरण: अकेले मध्य प्रदेश में **3 लाख से अधिक दावे लंबित** हैं।
3. **संरक्षण या विकास अभियानों के दौरान बेदखली की धमकी**
   उदाहरण: **टाइगर रिजर्व विस्तार** के दौरान वनवासी बेदखल किए गए।
4. **कानूनी और प्रशासनिक भूमिकाओं में ग्राम सभा की कमजोर स्थिति**
   उदाहरण: छत्तीसगढ़ के जनजातीय ब्लॉकों में **प्रशिक्षण की कमी**।

आगे की राह

1. **स्थानीय अधिकारियों को एफआरए दावों के कुशल निपटान के लिए प्रशिक्षित करें**
   उदाहरण: महाराष्ट्र में **डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल** सकारात्मक परिणाम दिखा रहे हैं।
2. **ग्राम सभाओं को कानूनी और प्रशासनिक साक्षरता प्रदान करें**
   उदाहरण: झारखंड में **कानूनी जागरूकता शिविर** शुरू किए गए हैं।
3. **पारंपरिक वन उपयोग को दर्शाने के लिए जीआईएस तकनीक का उपयोग करें**
   उदाहरण: तेलंगाना **उपग्रह मैपिंग** का उपयोग कर दावा सत्यापन कर रहा है।
4. **लंबित मामलों का मिशन मोड में समाधान करें**
   उदाहरण: असम में **विशेष दावा निपटान अभियान** चलाया जा रहा है।

निष्कर्ष

एफआरए सेल्स की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि कानूनी अधिकार केवल कागज़ पर न रहकर ज़मीनी हकीकत बनें। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार को **संस्थागत सुधार, स्थानीय सशक्तिकरण और तकनीक के बेहतर उपयोग** को एक साथ जोड़ना होगा ताकि न्याय वास्तव में जमीनी स्तर तक पहुँच सके।

केंद्रीय योजनाओं की प्रदर्शन-आधारित समीक्षा

प्रसंग

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) का 31 मार्च 2026 के बाद उनके निरंतर संचालन के किसी भी प्रस्ताव से पहले स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए। यह नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो अब परिणाम-केंद्रित योजना, सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग और साक्ष्य-आधारित शासन की ओर अग्रसर है।

नीति के उद्देश्य

- बजटीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- योजनाओं के प्रदर्शन को वित्तीय निर्णयों से जोड़ना।
- जो योजनाएँ प्रभावी नहीं हैं, उन्हें समाप्त करना या पुनर्गठित करना।
- सरकारी खर्च पर नियंत्रण हेतु स्पष्ट व्यय सीमा तय करना।

मुख्य विशेषताएँ

- **सभी योजनाओं की निर्धारित समयसीमा**
  - प्रत्येक योजना की एक तय समाप्ति तिथि होनी चाहिए।
  - 2026 के बाद नवीनीकरण के लिए पूर्ण प्रदर्शन समीक्षा आवश्यक होगी।
- **मूल्यांकन-आधारित निरंतरता नियम**
  - सभी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन अनिवार्य होगा।
  - नीति आयोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) की समीक्षा की निगरानी करेगा।
  - केवल सकारात्मक समीक्षा प्राप्त योजनाएँ ही आगे जारी रह सकेंगी।
- **बजटीय व्यय की सीमा**
  - 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026–2031) के लिए, किसी योजना का कुल बजट 2021 से 2025 की औसत वार्षिक व्यय राशि से पाँच गुना से अधिक नहीं हो सकता।
- **कोष उपयोग में लचीलापन**
  - मंत्रालयों को कमज़ोर प्रदर्शन वाली योजनाओं से संसाधनों को बेहतर योजनाओं में स्थानांतरित करने की अनुमति है, बशर्ते उचित औचित्य प्रस्तुत किया जाए।
- **कठोर व्यय सीमाएँ**
  - प्रत्येक योजना को पूर्व-स्वीकृत वित्तीय दायरे में ही संचालित करना होगा।

मांग-आधारित योजनाओं पर प्रभाव

- **मनरेगा जैसी योजनाएँ**
  - जो वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बदलती हैं, उन्हें अब व्यय सीमा का सामना करना पड़ सकता है।
  - बजट अब वित्त आयोग की अवधि के दौरान अनुमानित लाभार्थियों की संख्या पर आधारित होगा।

RACE IAS

- अतिरिक्त धन के लिए विशेष सरकारी मंज़ूरी आवश्यक होगी।

नई रूपरेखा के लाभ

- सार्वजनिक योजनाओं में परिणाम-आधारित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है।
- ओईसीडी जैसे अंतरराष्ट्रीय बजटिंग मानकों के अनुरूप।
- अक्षम या आपस में दोहराव वाली योजनाओं को हटाने में सहायक।
- सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है।
- सरकारी धन के उपयोग पर जनता का विश्वास बहाल कर सकता है।
- मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा दे सकता है।

कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियाँ

- **मूल्यांकन की गुणवत्ता**
  - विशेषज्ञता या स्वतंत्रता की कमी के कारण मूल्यांकन की गुणवत्ता कमजोर हो सकती है।
  - *उदाहरण:* कुछ पूर्व समीक्षाओं में क्षेत्र विशेष की जानकारी का अभाव था।
- **योजनाओं का जल्द समाप्त होना**
  - दीर्घकालिक प्रभाव वाली योजनाओं को जल्दी बंद करने का जोखिम।
  - *उदाहरण:* स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं को परिणाम दिखाने में समय लगता है।
- **आपात स्थितियों में मांग आधारित योजनाएँ असहाय हो सकती हैं**
  - *उदाहरण:* कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मनरेगा की माँग में अचानक वृद्धि हुई।
- **नवीनीकरण की स्वीकृति प्रक्रिया धीमी हो सकती है**
  - *उदाहरण:* अनुमोदन में विलंब से सेवाओं की निरंतरता बाधित हो सकती है।
- **डेटा अवसंरचना की कमी**
  - वास्तविक समय डेटा की अनुपस्थिति से मूल्यांकन कठिन हो सकता है।
  - *उदाहरण:* कुछ ग्रामीण योजनाएँ अब भी मैनुअल ट्रैकिंग विधियों पर निर्भर हैं।

आगे की राह

- **स्वतंत्र मूल्यांकन निकाय का गठन**
  - *उदाहरण:* सीएजी या नीति आयोग के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी स्थापित की जा सकती है जो निष्पक्ष मूल्यांकन करे।
- **निगरानी उपकरणों को उन्नत बनाना**
  - *उदाहरण:* लाइव डैशबोर्ड, ओपन डेटा पोर्टल और भू-टैगिंग जैसी तकनीकों का उपयोग।
- **शुरुआत से ही स्पष्ट लक्ष्य तय करना**
  - *उदाहरण:* योजना निर्माण के समय ही प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) शामिल करना।
- **महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की सुरक्षा**
  - *उदाहरण:* भोजन और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को केवल अल्पकालिक कमजोर प्रदर्शन के आधार पर बंद न किया जाए।
- **सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना**
  - *उदाहरण:* मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए लागत विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

वित्त मंत्रालय की यह पहल साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक वित्त को बढ़ावा देती है और व्यय से परिणाम की ओर ध्यान केंद्रित करती है। यह ढाँचा भारतीय कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बना सकता है, परन्तु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सामाजिक सुरक्षा को केवल वित्तीय अनुशासन के नाम पर खतरे में न डाला जाए। प्रदर्शन की निगरानी और समावेशी विकास के बीच संतुलन बनाना आने वाली सबसे बड़ी चुनौती होगी।

ऑपरेशन सिंधु

प्रसंग:

जून 2025 में, इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों, को निकालने के लिए **ऑपरेशन सिंधु** शुरू किया।

समाचार से संबंधित जानकारी:

- भारत ने ईरान से एक **गैर-लड़ाकू निकासी अभियान (Non-Combatant Evacuation Operation – NEO)** शुरू किया।
- ईरान में लगभग 4,000 भारतीय नागरिक मौजूद थे।
- पहले समूह में 110 भारतीय नागरिक, जिनमें अधिकांश छात्र थे, आर्मेनिया के रास्ते भारत लौटे।
- इस निकासी अभियान का समन्वय

  विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा किया गया।

ऑपरेशनल चुनौतियाँ:

- **बुनियादी ढांचे को क्षति:** ईरान में इज़रायली हवाई हमलों से अस्पतालों और सड़कों को गंभीर नुकसान पहुँचा।
- **राजनयिक सीमाएँ:** तुर्की और अज़रबैजान ने भारत के निकासी प्रयासों में पूर्ण सहयोग नहीं किया।

- **संसाधनों की कमी:** कई निकाले गए लोगों को भोजन, पानी और आवश्यक दवाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ा।
- **चिकित्सीय आपात स्थितियाँ:** कई घायल नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल सकीं क्योंकि प्रणाली ध्वस्त हो चुकी थी।

सुझावित रणनीतिक उपाय:

- **राजनयिक तैयारी:** आर्मेनिया जैसे सीमावर्ती देशों के साथ मजबूत सहयोग विकसित कर निकासी गलियारों को सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** विदेशों में मौजूद भारतीय नागरिकों की रीयल-टाइम निगरानी हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना।
- **संकट प्रोटोकॉल विकास:** मध्य पूर्व जैसे संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों के लिए मानक निकासी दिशानिर्देश तैयार करना।
- **क्षमता निर्माण:** अस्थिर देशों में भारतीय दूतावासों की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना।

निष्कर्ष:

ऑपरेशन सिंधु ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भी भारत की अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति को सशक्त रूप से दर्शाया। यह अभियान कठिन राजनयिक व लॉजिस्टिक परिस्थितियों के बावजूद तेज़ और संगठित तरीके से संपन्न किया गया।

इच्छामृत्यु (Euthanasia)

प्रसंग:

जून 2025 में यूनाइटेड किंगडम ने टर्मिनल बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु (Assisted Dying) को वैध कर दिया। इससे भारत में पुनः बहस शुरू हो गई है, जहाँ **निष्क्रिय इच्छामृत्यु** (Passive Euthanasia) को कानूनी मान्यता है, परंतु **सक्रिय इच्छामृत्यु** (Active Euthanasia) अवैध है। अब चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि भारत को अपने कानूनों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए या नहीं।

समाचार से संबंधित जानकारी (यूके का कानून)

- यूके ने टर्मिनल रूप से बीमार वयस्कों के लिए **सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध** किया।
  → ऐसे वयस्क जिनके पास जीवन के छह महीने से कम का समय है, अब **चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु** चुन सकते हैं।
- यह कानून **केवल इंग्लैंड और वेल्स** में लागू है।
  → स्कॉटलैंड जैसे यूके के अन्य हिस्सों में यह लागू नहीं है।
- **डॉक्टरों, न्यायालयों और लिखित सहमति** की आवश्यकता होती है।
  → निर्णय चिकित्सा और कानूनी समीक्षा से गुजरता है।
- 2013 से लंबित इस मुद्दे पर कई असफल प्रयासों के बाद 2025 में कानून पास हुआ।

इच्छामृत्यु के प्रकार

1. सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)

इसमें मरीज के जीवन को चिकित्सा साधनों द्वारा **प्रत्यक्ष रूप से समाप्त किया जाता है**, जैसे कि घातक इंजेक्शन देना।

- **स्वैच्छिक (Voluntary):** जब रोगी खुद सहमति देता है।
  उदाहरण: एक टर्मिनल कैंसर रोगी डॉक्टर से जीवन समाप्त करने की दवा देने का अनुरोध करता है।
- **गैर-स्वैच्छिक (Non-voluntary):** रोगी निर्णय देने की स्थिति में नहीं होता।
  उदाहरण: कोमा में पड़े व्यक्ति को परिवार के निर्णय पर इच्छामृत्यु दी जाती है।
- **अस्वैच्छिक (Involuntary):** रोगी की सहमति के बिना किया जाता है। *उदाहरण: एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को बिना सहमति के इच्छामृत्यु दी जाती है (जो अक्सर अवैध माना जाता है)।*

2. निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)

इसमें जीवन रक्षक उपचार को **बंद कर दिया जाता है**, जिससे व्यक्ति अपनी बीमारी से स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त करता है।

उदाहरण: ब्रेन डेड व्यक्ति का वेंटिलेटर हटाना या डिमेंशिया के अंतिम चरण में पोषण देना बंद करना।

यह आमतौर पर **पूर्व निर्देशों** (Advance Directives) या **परिवार की सहमति** से किया जाता है जब रोगी स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हो।

भारत की तुलना में मुख्य विशेषताएँ

- भारत में केवल **निष्क्रिय इच्छामृत्यु** की अनुमति है।
  → उपचार हटाया जा सकता है, पर जान लेने की सीधी कार्रवाई वैध नहीं।
- **सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मंजूरी दी थी** (Common Cause बनाम भारत संघ केस)।
  → अनुच्छेद 21 के तहत "सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार" मान्यता प्राप्त।
- केवल **टर्मिनल अवस्था में अचेतन रोगियों** को ही शामिल किया गया है।
  → रोगी को अपरिवर्तनीय अवस्था में होना आवश्यक है।
- **लिविंग विल** (Living Will) की कानूनी मान्यता है।
  → व्यक्ति भविष्य में जीवन रक्षक सहायता न लेने की इच्छा दर्ज करा सकता है।

- भारत में **चिकित्सा बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य** है।
  → निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए डॉक्टरों के समूह की सहमति जरूरी।
- भारत में **सक्रिय इच्छामृत्यु पर कोई कानून नहीं** है।
  → जानबूझकर जीवन समाप्त करने की कार्रवाई (जैसे घातक इंजेक्शन) अभी भी अवैध है।

भारत के लिए चुनौतियाँ

- **नैतिक और धार्मिक विरोध:**
  → कई समुदाय इसे जीवन के मूल्य के विरुद्ध मानते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और धार्मिक क्षेत्रों में।
- **लिविंग विल के प्रति कम जागरूकता:**
  → शिक्षित लोग भी नहीं जानते कि इसे कैसे और कब इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **सुरक्षा उपायों की कमी में दुरुपयोग का खतरा:**
  → गरीब या वृद्ध लोगों पर मृत्यु के लिए दबाव डाला जा सकता है।
- **प्रशिक्षित चिकित्सा नैतिकता बोर्डों की कमी:**
  → अधिकांश अस्पतालों में इच्छामृत्यु के मामलों का मूल्यांकन करने की उचित प्रणाली नहीं है।

भारत के लिए आगे का मार्ग

- **नागरिकों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के कानूनों की जानकारी बढ़ाना।**

  → लिविंग विल और कानूनी सुरक्षा के बारे में जनजागरूकता फैलाना।
- **डॉक्टरों के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाना।**
  → अस्पतालों और नैतिकता बोर्डों के लिए एकरूप प्रक्रियाएं तय करना।
- **पैलिएटिव केयर सुविधाओं को मजबूत करना।**
  → दर्द प्रबंधन और जीवन के अंतिम चरण में सहयोग प्रदान कर इच्छामृत्यु की मांग को कम करना।
- **सुरक्षा उपायों के साथ सक्रिय इच्छामृत्यु पर चर्चा की शुरुआत करना।**
  → यूके और नीदरलैंड जैसे देशों से सीख लेकर सावधानीपूर्वक कानूनों पर विचार करना।

निष्कर्ष

भारत की इच्छामृत्यु से जुड़ी कानूनी यात्रा सतर्क किन्तु प्रगतिशील रही है। जहाँ निष्क्रिय इच्छामृत्यु को अनुमति दी गई है, वहीं सहायता प्राप्त मृत्यु पर चर्चा अब भी जारी है। यूके जैसे देशों के हालिया कानूनों और बढ़ती जन-जागरूकता के चलते, भारत को अपने नीति ढांचे की समीक्षा करनी पड़ सकती है ताकि **दया, सहमति और देखभाल के बीच संतुलन** सुनिश्चित किया जा सके।

भारत में अंग प्रतिरोपण

प्रसंग

जून 2025 में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने भारत की अंग प्रतिरोपण प्रणाली में गंभीर चुनौतियों को उजागर किया। रिपोर्ट ने इस क्षेत्र में पहुँच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता बताई।

समाचार के बारे में

- स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने अंग प्रतिरोपण ढांचे में खामियों को चिह्नित किया।
- राज्यों में मांग बढ़ने के बावजूद अंगों की भारी कमी बनी हुई है।
- प्रतिरोपण के बाद की देखभाल का आर्थिक बोझ रोगियों के लिए एक बाधा है।
- भारत में प्रतिरोपण प्रणाली का संचालन **NOTTO (नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन)** द्वारा किया जाता है।

अंग दान के प्रकार

भारत में अंग दान को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है: **जीवित अंग दान** और **मृत अंग दान**। दोनों ही प्रक्रियाएँ **"मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994"** के तहत संचालित होती हैं।

1. जीवित अंग दान

- इसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से जीवित रहते हुए एक अंग दान करता है।
- ऐसे अंगों के लिए जिनके एक भाग के साथ भी जीवन संभव है, जैसे:
  - **गुर्दा** (मनुष्य एक गुर्दे के साथ जीवित रह सकता है)
  - **यकृत** (आंशिक रूप से काटे जाने के बाद पुनः विकसित हो सकता है)
- दाता निम्न प्रकार के हो सकते हैं:
  - **निकट संबंधी** – माता-पिता, भाई-बहन, जीवनसाथी, संतान आदि।
  - **निकट संबंधियों से इतर** – मित्र, ससुराल पक्ष, या परोपकारी व्यक्ति (उचित अनुमतियों के साथ)।
- किसी भी अनैतिक दबाव या वित्तीय लेनदेन से बचाव हेतु कठोर चिकित्सकीय, मानसिक और कानूनी जांच आवश्यक होती है।

2. मृत अंग दान

- यह प्रक्रिया तब होती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अंग दान किया जाता है, विशेषकर जब **ब्रेन स्टेम डेथ (मस्तिष्क तंत्रिका मृत्यु)** की घोषणा हो चुकी हो।
- ब्रेन स्टेम डेथ की स्थिति में:
  - चेतना का स्थायी रूप से समाप्त हो जाना,

- मस्तिष्क तंत्रिका प्रतिक्रियाओं का पूर्ण अभाव,
- स्वयं श्वास लेने की क्षमता का स्थायी नुकसान होता है।

- कानून के अनुसार, एक अधिकृत चिकित्सकों की समिति द्वारा मस्तिष्क मृत्यु की पुष्टि आवश्यक है।
- इस स्थिति में **हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे, अग्न्याशय और आँतें** जैसे महत्वपूर्ण अंग प्रतिरोपण के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं।
- भारत में केवल ब्रेन स्टेम डेथ के बाद ही कानूनी रूप से अंग दान मान्य है, **हृदयगति रुकने (कार्डियक डेथ)** के बाद नहीं।

भारत में कानूनी ढांचा

- **मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994** (संशोधित 2011) के तहत सभी प्रक्रियाएँ संचालित होती हैं।
- मृत अंग दान के लिए परिवार या करीबी परिजन की सहमति अनिवार्य है।
- ब्रेन डेथ की घोषणा एक **चिकित्सक समिति** द्वारा की जाती है, जिसमें सामान्यतः शामिल होते हैं:
    - न्यूरोलॉजिस्ट/न्यूरोसर्जन,
    - रोगी का उपचार करने वाला डॉक्टर,
    - एक स्वतंत्र चिकित्सा प्रशासक।

नैतिक सुरक्षा उपाय

- अंगों की किसी भी प्रकार की **वाणिज्यिक खरीद-फरोख्त कानूनन निषिद्ध** है।
- प्रत्येक दाता और प्राप्तकर्ता को निम्न आधिकारिक माध्यमों से पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है:
    - **NOTTO** – राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन,
    - **ROTTO** – क्षेत्रीय स्तर का समकक्ष संगठन।

भारत में प्रमुख चुनौतियाँ

1. **कम जन-जागरूकता मृत दान को सीमित करती है**
    - *उदाहरण:* शहरी अस्पतालों में ब्रेन डेथ के बाद परिवार की अनिच्छा।
2. **ICU की कमी अंगों की निकासी में देरी करती है**
    - *उदाहरण:* ग्रामीण अस्पतालों में ब्रेन डेड मरीजों के लिए वेंटिलेटर नहीं।
3. **प्रतिरोपण के बाद की देखभाल गरीब मरीजों के लिए महंगी**
    - *उदाहरण:* इम्यूनो-सप्रेसेंट दवाइयों का मासिक खर्च ₹10,000 से अधिक।
4. **अवैध अंग व्यापार कानून के बावजूद जारी**
    - *उदाहरण:* हालिया मीडिया रिपोर्टों में ब्लैक मार्केट रैकेट उजागर।

आगे की राह

1. **जन-जागरूकता अभियान और पारिवारिक सहमति को बढ़ावा देना**
    - *उदाहरण:* तमिलनाडु का 'Be a Donor' अभियान – मृत अंग दान में वृद्धि।
2. **प्रतिरोपण पश्चात दवाओं को बीमा योजनाओं में शामिल करना**
    - *उदाहरण:* आयुष्मान भारत–PMJAY से दवा लागत का वहन संभव।
3. **जिला अस्पतालों में ICU अवसंरचना का विस्तार**
    - *उदाहरण:* CSR फंड से ICU बेड की व्यवस्था संभव।
4. **डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से रीयल-टाइम मिलान प्रणाली लागू करना**
    - *उदाहरण:* NOTTO पोर्टल को राज्य ई-हॉस्पिटल नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत में अंग प्रतिरोपण प्रणाली एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, परंतु **लागत, जागरूकता और अवसंरचना** से जुड़ी चुनौतियों को शीघ्रता से हल करना आवश्यक है, ताकि यह प्रणाली सभी के लिए समान रूप से जीवनरक्षक बन सके।

क्वांटम संचार

प्रसंग

आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने भारत की क्वांटम संचार तकनीक को नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया है। यह एक भविष्य की तकनीक है, जिसका उद्देश्य उपग्रह आधारित हैक-प्रूफ संचार नेटवर्क तैयार करना है। भारत अब 2030 तक अपना क्वांटम संचार उपग्रह लॉन्च करने की दिशा में अग्रसर है, जिससे वह इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देशों की कतार में शामिल हो सकेगा।

समाचार के बारे में

- भारत का लक्ष्य 2030 तक एक क्वांटम संचार उपग्रह लॉन्च करना है।
- आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने इस तकनीक के कई प्रमुख घटक विकसित किए हैं।
- वर्ष 2025 में भारत ने **क्वांटम एंटैंगलमेंट** के ज़रिए 1 किमी की वायरलेस संचार दूरी प्राप्त की – यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

RACE IAS

- चीन इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है और पिछले दशक से क्वांटम उपग्रह संचालित कर रहा है।

प्रमुख विशेषताएँ / प्रावधान

- क्वांटम संचार में **फोटॉनों (प्रकाश कणों)** द्वारा सूचना भेजी जाती है, जिससे यह अत्यंत सुरक्षित बनता है।
- यह क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यदि कोई सिग्नल को रोकने की कोशिश करता है, तो फोटॉन की स्थिति बदल जाती है, और दोनों पक्षों को तुरंत पता चल जाता है।
- **Quantum Key Distribution (QKD)** तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि डेटा न तो पढ़ा जा सके, न ही कॉपी किया जा सके।
- यह पासवर्ड की जगह **क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित एन्क्रिप्शन कुंजियाँ** बनाता है।
- भारत की प्रणाली दो तरीकों से काम करेगी:
    - **ऑप्टिकल फाइबर आधारित (वायर्ड)** – शहरी क्षेत्रों के लिए लघु दूरी हेतु
    - **एंटैंगलमेंट आधारित (वायरलेस)** – उपग्रह से धरती तक की लंबी दूरी हेतु
- **क्वबिट (Qubit)** क्लासिकल बिट का क्वांटम संस्करण है – जहाँ क्लासिकल बिट 0 या 1 होता है, वहीं क्वबिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है।
    - इससे क्वांटम कंप्यूटर में अधिक तेज़ और जटिल गणनाएँ संभव होती हैं।
- **Quantum Entanglement** वह स्थिति है जिसमें दो कण इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक में बदलाव का असर दूसरे पर तुरंत पड़ता है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों।
    - यही लंबी दूरी के वायरलेस क्वांटम संचार की मूलभूत तकनीक है।
- भविष्य में इसके उपयोग **सैन्य संचार, सुरक्षित सरकारी संदेश**, **बैंकिंग सुरक्षा**, और **क्वांटम इंटरनेट** जैसे क्षेत्रों में होंगे।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM)

भारत का **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संचालित एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग कर अगली पीढ़ी की तकनीकों को विकसित करना है — जैसे **सुरक्षित संचार**, **सटीक संवेदना प्रणाली**, और **क्वांटम कंप्यूटिंग**।

समयसीमा व बजट

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **अप्रैल 2023** में मंजूरी
- कुल अनुमानित बजट: **₹6,000 करोड़**
- कार्यान्वयन अवधि: **2023 से 2031 (8 वर्ष)**

प्रमुख फोकस क्षेत्र

- 50 से 1000 **क्वबिट्स** वाले क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण
- **राष्ट्रीय क्वांटम प्रयोगशालाएँ** और **प्रौद्योगिकी पार्क** की स्थापना
- **QKD प्रणाली** का विकास
- नेविगेशन, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्रों के लिए **क्वांटम संवेदक** तैयार करना

प्रमुख चुनौतियाँ

- अत्यधिक तकनीकी जटिलता और ढाँचागत लागत
    - *उदाहरण:* सिंगल-फोटॉन डिटेक्टर व क्रायोजेनिक प्रणाली महँगी होती हैं।
- चीन की तकनीकी बढ़त से भारत पर दबाव
    - *उदाहरण:* चीन का **Micius उपग्रह** पहले ही स्पेस-टू-ग्राउंड QKD हासिल कर चुका है।
- भारत में प्रयोगात्मक सुविधाओं की कमी
    - *उदाहरण:* बहुत कम भारतीय प्रयोगशालाएँ व्यावहारिक क्वांटम शोध के योग्य हैं।
- प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कमी
    - *उदाहरण:* अधिकांश विश्वविद्यालय अभी भी पारंपरिक भौतिकी ही पढ़ाते हैं।

आगे की राह

- सरकारी सहयोग से अनुसंधान में निवेश बढ़ाना
    - *उदाहरण:* IITs और IISc जैसे संस्थानों में राष्ट्रीय क्वांटम प्रयोगशालाओं की स्थापना
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
    - *उदाहरण:* भारतीय टेक स्टार्टअप्स के साथ एन्क्रिप्शन और उपग्रह प्रणालियों में सहयोग
- रक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएँ शुरू करना
    - *उदाहरण:* सैन्य ठिकानों और DRDO के बीच क्वांटम सुरक्षित मैसेजिंग
- शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार कर क्वांटम विज्ञान को शामिल करना
    - *उदाहरण:* B.Tech व M.Sc. में क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, और कंप्यूटिंग को शामिल करना

निष्कर्ष

भारत का क्वांटम संचार उपग्रह मिशन देश की **डिजिटल सुरक्षा** को साइबर खतरों से बचाने की एक रणनीतिक पहल है। यह **विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, और राष्ट्रीय सुरक्षा** का संगम है। यदि भारत अनुसंधान, प्रशिक्षण और सहयोग पर लगातार ध्यान देता है, तो वह 2030 तक क्वांटम संचार में वैश्विक अग्रणी बन सकता है।

RACE IAS

वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism - LWE) / नक्सलवाद

प्रसंग

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त बनाने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया, जिससे शांति और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

समाचार के बारे में

- गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है।
- यह केंद्र सरकार की एक रणनीतिक और समयबद्ध प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- पिछले 35 वर्षों में नक्सली हिंसा के कारण 40,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
- यह संघर्ष की मानवीय और सामाजिक लागत को उजागर करता है।
- आदिवासी समुदायों को लंबे समय तक संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं से वंचित रहना पड़ा।
- इस उग्रवाद ने विकास को पीछे धकेला और लोगों को मुख्यधारा से अलग-थलग कर दिया।

नक्सलवाद

- नक्सलवाद एक माओवादी प्रेरित उग्रवाद है जिसका उद्देश्य हिंसा और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से राज्य को उखाड़ फेंकना है।
- इस शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई, जहाँ 1967 में किसानों ने एक विद्रोह किया था।
- यह आंदोलन भूमि अधिकारों की माँग से शुरू हुआ लेकिन बाद में भारत के कई हिस्सों में फैल गया।
- नक्सली मुख्य रूप से आदिवासी और वन क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं और स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं।
- यह आज भी भारत के कई राज्यों में एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती बना हुआ है।

भारत में नक्सलवाद से निपटने के प्रयास और रणनीतियाँ

1. **राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना (2015)**
   यह एक समग्र रणनीति है जो सुरक्षा, विकास, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और जनसंपर्क पर केंद्रित है।
2. **सामधान (SAMADHAN) सिद्धांत**
   एक बहुआयामी रणनीति जिसमें हर अक्षर का विशेष महत्व है:
   S – स्मार्ट नेतृत्व (Smart Leadership)
   A – आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)
   M – प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
   A – व्यावहारिक खुफिया जानकारी (Actionable Intelligence)
   D – निगरानी हेतु डैशबोर्ड (Dashboard for Monitoring)
   H – तकनीकी का उपयोग (Harnessing Technology)
   A – कार्य योजना (Action Plan)
   N – वित्तीय पहुँच समाप्त (No Access to Financing)
3. **ऑपरेशन ग्रीन हंट**
   यह एक व्यापक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य अर्धसैनिक बलों के माध्यम से वनों में छिपे नक्सलियों को समाप्त करना था।
4. **विशेष बलों की तैनाती**
   - ग्रेहाउंड्स: आंध्र प्रदेश की एक विशेष कमांडो इकाई जो जंगल युद्ध में विशेषज्ञ है।
   - बस्तरिया बटालियन: छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं को स्थानीय संघर्ष क्षेत्रों के लिए भर्ती किया गया।
5. **विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)**
   नक्सल प्रभावित जिलों को सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय बनाने और आजीविका परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
6. **बंदोपाध्याय समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन**
   भूमि अधिकार, वन संसाधनों तक पहुँच और विस्थापित आदिवासी समुदायों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि अलगाव की भावना समाप्त हो।

सरकार ड्रोन, जीपीएस और सैटेलाइट निगरानी का उपयोग कर रही है, पुलिस बलों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों से लैस कर रही है, पीएम आवास, जल जीवन मिशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, और जनजागरूकता कार्यक्रमों के ज़रिए आदिवासी समुदायों का विश्वास जीत रही है।

चुनौतियाँ

- खनन परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापन हुआ, जिससे असंतोष बढ़ा।
- उदाहरण: बस्तर क्षेत्र में खनन ने कई लोगों को बिना पुनर्वास के विस्थापित कर दिया। सड़क, पानी और स्कूल जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी से स्थानीय लोग नाराज़ हुए।
- राज्य की अनुपस्थिति के कारण आदिवासी युवाओं ने विद्रोही संगठनों का साथ दिया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे कानूनों ने पारंपरिक संसाधनों तक पहुँच को रोका।
- विकल्प न होने से आदिवासी विद्रोहियों की ओर चले गए। दुर्गम क्षेत्र में शासन और पुलिस की पहुँच कठिन बनी रही।
- जैसे दंतेवाड़ा जैसे घने जंगल नक्सल गढ़ बन गए।

RACE IAS

आगे की राह

- सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, विकास और समावेशन पर भी ज़ोर देना चाहिए।
- पीएम आवास योजना जैसी योजनाएँ प्रभावित क्षेत्रों तक शीघ्र पहुँचनी चाहिए।
- समन्वित खुफिया और कार्रवाई के लिए सामधान रणनीति को और मजबूत करना होगा।
- ड्रोन और रियल टाइम डेटा का उपयोग घात लगाकर किए हमलों को रोक सकता है।
- बंदोपाध्याय समिति द्वारा सुझाई गई जनजाति-सम्वेदनशील भूमि नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए।
- इससे भूमि अधिग्रहण के समय भविष्य में अशांति को रोका जा सकता है।
- बस्तरिया बटालियन जैसे सफल मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए।
- स्थानीय युवाओं की भागीदारी से बेहतर ज़मीनी जानकारी और जनविश्वास प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

हालाँकि नक्सलवाद की ताक़त कमजोर हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए निरंतर विकास, आदिवासी सशक्तिकरण और न्यायपूर्ण शासन आवश्यक है, ताकि भारत के सबसे प्रभावित और वंचित समुदायों को सुरक्षा और गरिमा मिल सके।

भारत का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट

प्रसंग

ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, अदाणी समूह ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना है।

समाचार का विवरण

- यह प्लांट पूरी तरह ऑफ-ग्रिड है, यानी यह भारत की मुख्य बिजली ग्रिड से स्वतंत्र रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से संचालित होता है।
- इससे बिना किसी रुकावट के और शून्य-उत्सर्जन वाली हाइड्रोजन का उत्पादन संभव हो पाता है।
- यह सुविधा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जो सौर और पवन ऊर्जा की उच्च संभावनाओं वाला क्षेत्र है।
- इस प्लांट की स्थापना अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता को बढ़ाने के लिए की है।
- निजी क्षेत्र का यह निवेश राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है।
- यह भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 2070 तक नेट जीरो विजन का समर्थन करता है।
- यह अर्थव्यवस्था के डी-कार्बोनाइज़ेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

विशेषताएँ

- यह प्लांट जल का विद्युत अपघटन (electrolysis) करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है।
- यदि इस प्रक्रिया में प्रयुक्त बिजली नवीकरणीय हो तो यह एक स्वच्छ पद्धति मानी जाती है।
- ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, बिजली का स्रोत सौर, पवन या जलविद्युत होना चाहिए, न कि कोयला।
- इससे उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य रहता है।
- यह एक ऑफ-ग्रिड प्रणाली है, यानी यह केंद्रीय ग्रिड से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- यह प्रणाली दूरस्थ या ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श है।
- हाइड्रोजन को संपीड़ित गैस या तरल रूप में संग्रहित किया जाता है ताकि इसे ऊर्जा, परिवहन या
- औद्योगिक क्षेत्रों में बाद में उपयोग किया जा सके।
- संग्रहण से विभिन्न क्षेत्रों में लचीले उपयोग की सुविधा मिलती है।
- यह ऑन-ग्रिड प्लांट्स से अलग है, जो ग्रिड पॉवर पर निर्भर रहते हैं और यदि ग्रिड बिजली
- जीवाश्म ईंधन आधारित हो तो CO_2 उत्सर्जन कर सकते हैं।
- ऑफ-ग्रिड प्रणाली विश्वसनीयता और स्थायित्व सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

- MNRE (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन नेतृत्व के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य।
- 2030 तक सालाना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य।
- SIGHT प्रोग्राम घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- इस मिशन के तहत नीतियों, परियोजनाओं और पारिस्थितिकी तंत्र विकास से संबंधित जानकारी हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया।
- Hydrogen Valley Innovation Clusters बनाए गए हैं, जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में हाइड्रोजन अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हैं।

चुनौतियाँ

- महंगी इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक के कारण उत्पादन लागत अधिक होती है, जिससे बड़े पैमाने पर अपनाने में बाधा आती है।
- उदाहरण: प्राकृतिक गैस से बनने वाला ग्रे हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन से सस्ता है।
- हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन तकनीकी रूप से जटिल और ऊर्जा-गहन है।
- संपीड़ित हाइड्रोजन के लिए उन्नत और सुरक्षित ढांचे की आवश्यकता होती है।
- घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण की सीमित क्षमता परियोजनाओं के विस्तार को धीमा करती है।
- भारत आयात पर निर्भर है, जिससे लागत बढ़ती है और देरी होती है।
- नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहनों को शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता है ताकि अधिक निजी
- निवेश को आकर्षित किया जा सके।
- नीतियों के धीमे क्रियान्वयन से निवेशकों का विश्वास घट सकता है।

आगे की राह

- "मेक इन इंडिया" के तहत देशी इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।
- इससे लागत घटेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
- हाइड्रोजन भंडारण, पाइपलाइन और परिवहन के लिए अनुकूल अवसंरचना में निवेश करें।

  उदाहरण: गतिशीलता क्षेत्रों के लिए हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाएं।
- इस्पात, उर्वरक और तेल रिफाइनरियों जैसे उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन का एकीकरण करें।
- यह कठिन क्षेत्रों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकता है।
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत नीति और सब्सिडी को मजबूत बनाएं।
- वित्तीय सहायता उद्योग द्वारा शीघ्र अपनाने में मदद करेगी।

निष्कर्ष

भारत का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत की स्थिरता, नवाचार और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के तहत वैश्विक जलवायु उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) बैठक: भारत की रणनीतिक असहमति

प्रसंग:

हाल ही में चीन द्वारा आयोजित एक SCO बैठक में, भारत ने अंतिम संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

समाचार के बारे में:

- भारत ने SCO की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
- यह निर्णय भारत की प्रमुख सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने के कारण लिया गया।
- यह बयान केवल बलूचिस्तान में हुए हमलों पर केंद्रित था।
- पहलगाम जैसे भारतीय मुद्दों की अनदेखी ने आतंकवाद पर चयनात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में भाग लिया।
- उनकी उपस्थिति ने असहमति के बावजूद भारत की सक्रिय भागीदारी को दर्शाया।

SCO के बारे में:

- वर्ष 2001 में 'शंघाई फाइव' से विकसित होकर SCO की स्थापना हुई।
- यह एक चीन-प्रेरित क्षेत्रीय पहल के रूप में सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित थी।
- इसमें अब कुल **10 स्थायी सदस्य देश** हैं।

स्थायी सदस्य देश: बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान

पर्यवेक्षक देश:

अफगानिस्तान, मंगोलिया

- यह संगठन एक विशाल भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है।
- **RATS (क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना)** के माध्यम से सुरक्षा सहयोग प्रमुख फोकस है।
- RATS का मुख्यालय **ताशकंद, उज्बेकिस्तान** में स्थित है।
- यह सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी और आतंकवाद-रोधी अभियानों का समन्वय करता है।
- SCO की आधिकारिक भाषाएं **चीनी और रूसी** हैं।
- यह इसकी स्थापना करने वाले देशों के प्रभुत्व को दर्शाता है।
- SCO का सामूहिक GDP लगभग **23 ट्रिलियन डॉलर** है।
- आर्थिक एकीकरण भी इसका एक उभरता हुआ लक्ष्य है।

SCO का महत्व:

1. रणनीतिक सुरक्षा मंच:

SCO एक साझा तंत्र प्रदान करता है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निपटने में सैन्य सहयोग व समन्वित अभियानों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।

2. व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव:

विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या और विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हुए, SCO एक प्रभावशाली संगठन है जो यूरेशियाई राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करता है।

3. आर्थिक और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा:
यह संगठन व्यापार, ऊर्जा संवाद, और निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे सदस्य देशों के बीच साझा विकास संभव होता है।

4. क्षेत्रीय संपर्क को मजबूती:
SCO सीमा-पार संपर्क और परिवहन गलियारों को बढ़ावा देता है, जो चीन की BRI और भारत के मध्य एशिया से संपर्क जैसे लक्ष्यों के अनुकूल है।

5. बहुपक्षीय कूटनीति को प्रोत्साहन:
यह भारत सहित अन्य देशों को बहुपक्षीय कूटनीतिक मंच प्रदान करता है, जहां वे रणनीतिक हितों को संतुलित ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं।

चुनौतियाँ:

- आतंकवाद पर चयनात्मक दृष्टिकोण विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है।
  उदाहरण: पहलगाम हमले की अनदेखी आतंकवाद-विरोधी एजेंडे को कमजोर करती है।
- चीन-पाक गठजोड़ अक्सर भारत की चिंताओं को अलग-थलग कर देता है।

  उदाहरण: BRI परियोजना, जिसका भारत विरोध करता है, एक प्रमुख विभाजन बिंदु है।
- पाकिस्तान की सदस्यता आतंकवाद-विरोधी लक्ष्यों से मेल नहीं खाती।

  उदाहरण: आतंकवादी समूहों को संरक्षण देने का उसका रिकॉर्ड सामूहिक प्रयासों को कमजोर करता है।
- भाषा और राजनीतिक संरेखण भारतीय प्रस्तावों को हाशिए पर डालते हैं।

  उदाहरण: केवल चीनी और रूसी भाषा का आधिकारिक उपयोग समावेशी संवाद को सीमित करता है।

आगे की राह:

- आतंकवाद पर संतुलित दृष्टिकोण के लिए दबाव बनाना चाहिए।
  उदाहरण: SCO की रिपोर्ट में सभी प्रासंगिक हमलों को शामिल करने की मांग करनी चाहिए।
- SCO के भीतर भारत को रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना चाहिए।
  उदाहरण: मध्य एशियाई देशों और रूस से संबंध और मजबूत करने चाहिए।
- निर्णय-प्रक्रियाओं में सुधार की मांग उठानी चाहिए।
  उदाहरण: बहुभाषी संवाद को आधिकारिक रूप देना चाहिए।
- भारत को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और आतंकवाद-विरोधी छवि को प्रमुखता से प्रस्तुत करना चाहिए।
  उदाहरण: सीमा-पार खतरों को निष्क्रिय करने में भारत की सफलता को उजागर करना चाहिए।

निष्कर्ष:

SCO की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर से भारत का इनकार आतंकवाद पर चयनात्मक दृष्टिकोण के विरुद्ध एक सशक्त कूटनीतिक संकेत है। भारत एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सिद्धांतों की कीमत पर नहीं करेगा। आने वाले समय में भारत SCO को अधिक न्यायसंगत बहुपक्षीय मंच बनाने और वास्तविक सुरक्षा सहयोग की दिशा में मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों में RBI की हालिया छूट

प्रसंग:
जून 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) की आवश्यकताओं में ढील दी है। इस कदम का उद्देश्य अति-सेवित क्षेत्रों को समावेशी ऋण प्रदान करने के लक्ष्य को बनाए रखते हुए SFBs को अधिक परिचालन लचीलापन देना है।

समाचार के बारे में:

- RBI ने SFBs के लिए PSL लक्ष्य को **75% से घटाकर 60%** कर दिया है।
- इससे SFBs पर अनिवार्य ऋण देने का बोझ कम होगा।
- यह बदलाव **वित्त वर्ष 2025–26** से प्रभावी होगा।
- यह सभी वर्तमान और भविष्य के SFBs पर लागू होगा।
- अतिरिक्त **20% आवंटन लचीला** रहेगा।
- बैंक अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में ऋण दे सकेंगे।
- उद्देश्य है कि नियमन और व्यावसायिक व्यवहार्यता के बीच संतुलन बना रहे।
- इससे SFBs को जोखिम प्रबंधन में मदद मिलेगी, साथ ही प्राथमिकता क्षेत्रों की सेवा जारी रखी जा सकेगी।

सुधार की प्रमुख विशेषताएँ:

RACE IAS

- PSL में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो कम सेवा प्राप्त हैं,

  जैसे: कृषि, MSMEs, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कमजोर वर्ग आदि।
- नया लक्ष्य है: **60% ANBC** (एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट) या **CEOBE** (ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर का क्रेडिट समतुल्य), जो अधिक हो वही मान्य होगा।
- **40% ऋण** को सामान्य PSL नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

  यह ऋण कृषि, आवास, MSME जैसे उप-क्षेत्रों में वितरित होना चाहिए।
- **शेष 20% लचीला** रहेगा। SFBs इसे उन क्षेत्रों में आवंटित कर सकते हैं जहाँ उन्हें विशेषज्ञता है।
- यह **मार्च 2025 के PSL सुधारों** के अनुरूप है। उस समय सहकारी बैंकों और ऋण श्रेणियों जैसे आवास और शिक्षा में भी बदलाव किए गए थे।
- **क्रेडिट वितरण में नवाचार** को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषकर टेक्नोलॉजी आधारित और कम लागत वाले बैंकिंग मॉडल के माध्यम से।

SFB (स्मॉल फाइनेंस बैंक) के बारे में

- **वित्तीय समावेशन पर फोकस** SFBs छोटे व्यवसायों, किसानों और निम्न-आय वर्गों जैसे कम सेवा प्राप्त समूहों को बैंकिंग और ऋण सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **RBI द्वारा नियमन** SFBs को RBI द्वारा विनियमित किया जाता है और इन्हें CRR, SLR जैसे सभी प्रूडेंशियल मानदंडों का पालन करना होता है।
- **पात्रता मापदंड** भारतीय निवासी व्यक्ति, NBFCs, MFIs और सहकारी बैंक, जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो, RBI की ऑन-टैप योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- **ऋण देने का अनिवार्य लक्ष्य** SFBs को 75% ऋण प्राथमिकता क्षेत्रों को देना होता है; 50% ऋण ₹25 लाख से कम के होने चाहिए।
- **शाखा और पूंजी मानदंड** न्यूनतम पूंजी ₹200 करोड़ होनी चाहिए; 25% शाखाएं अनबैंक्ड ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य हैं।

सहकारी बैंकों के बारे में

- **परिभाषा और वर्गीकरण** सहकारी बैंक ऐसे सदस्य-स्वामित्व वाले संस्थान होते हैं जो राज्य या केंद्रीय सहकारी कानूनों के तहत पंजीकृत होते हैं, और इन्हें शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है।
- **स्वामित्व और मतदान अधिकार** इन बैंकों के ग्राहक ही इसके सदस्य होते हैं, जिन्हें "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत के आधार पर मतदान अधिकार प्राप्त होते हैं।
- **उद्देश्य और कार्य** मुख्य उद्देश्य किसानों, लघु व्यवसायों और स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों को ऋण देना होता है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
- **नियामक ढांचा** बैंकिंग कार्यों के लिए RBI और प्रबंधन के लिए राज्य के सहकारी पंजीयक द्वारा संयुक्त रूप से विनियमित किए जाते हैं।
- **वित्तीय समावेशन में भूमिका** सहकारी बैंक अनबैंक्ड वर्गों को सेवाएं प्रदान कर समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं और 2008 की वैश्विक मंदी जैसे संकटों के दौरान भी स्थिर बने रहे।

चुनौतियाँ:

- PSL लक्ष्य में कटौती से सामाजिक उद्देश्य कमजोर हो सकते हैं। **उदाहरण:** किसानों और छोटे उधारकर्ताओं को ऋण मिलना कम हो सकता है।
- लाभप्रद क्षेत्रों में ऋण केंद्रित होने का खतरा। **उदाहरण:** कृषि की तुलना में आवास को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- लचीले 20% आवंटन की निगरानी जटिल हो सकती है। **उदाहरण:** गैर-प्राथमिक क्षेत्रीय ऋण PSL के रूप में दिखाया जा सकता है।
- SFBs के ऋण वितरण में शहरी झुकाव बढ़ने का खतरा। **उदाहरण:** ग्रामीण इकाइयों की तुलना में शहरी MSMEs को वरीयता दी जा सकती है।

आगे की राह:

- लचीले 20% आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। **उदाहरण:** RBI को क्षेत्रवार ऋण डेटा प्रकाशित करना चाहिए।
- लेखा परीक्षण और अनुपालन प्रणाली को मजबूत करें। **उदाहरण:** वार्षिक रिपोर्ट में PSL ऋण का विस्तृत विवरण होना चाहिए।
- उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण के लिए प्रोत्साहन दें। **उदाहरण:** कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच के लिए डिजिटल मॉडल बढ़ावा दें।

RACE IAS

उदाहरण: मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अनबैंक्ड क्षेत्रों में विस्तार करें।

निष्कर्ष:

SFBs के लिए RBI द्वारा PSL मानदंडों में संशोधन नियामक लक्ष्यों और व्यावसायिक व्यवहारिकता के बीच संतुलन साधने का प्रयास है। यह बदलाव लचीलापन और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करता है, लेकिन असली परीक्षा समावेशिता बनाए रखने और सबसे कमजोर व अनबैंक्ड वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाने की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर निगरानी और नवोन्मेषी ऋण प्रथाएं आवश्यक होंगी।

RACE IAS

RACE IAS®

Since 2010

UPSC MAINS TEST SERIES - 2025

Test No.	Paper	Date	Topic
1	Sectional	10 June, 25	Polity + Governance + IR
2	Sectional	14 June, 25	Indian & World History + Art & Culture
3	Sectional	21 June, 25	Geography + Environment & Ecology + Society + DM
4	Sectional	28 June, 25	Science & Tech. + Economy + Internal Security
5	Sectional	05 July, 25	Qualifying paper (Hindi)
6	Full Length	12 July, 25	Qualifying paper (English)
7	Full Length	19 July, 25	Essay (All three Section)
8	Full Length	26 July, 25	GS Paper 1 (Full Syllabus)
9	Full Length	02 Aug., 25	GS Paper 2 (Full Syllabus)
10	Full Length	07 Aug., 25	GS Paper 3 (Full Syllabus)
11	Full Length	16 Aug., 25	GS Paper 4 (Full Syllabus) Ethics Integrity & Aptitude

COMMENCING FROM 10, JUNE 2025

REGISTRATION OPEN

LUCKNOW & KANPUR

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

7388114444, 9044241755

www.raceias.com | /raceiaslucknow | YouTube/raceiaslko | Follow us on :